

उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2026

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 2 फरवरी, 2026 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या 2
सन् 1916 की
धारा 8 का
संशोधन

निरसन और
व्यावृत्ति

2—उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 8 उपधारा (1) के खण्ड (ख) में,
शब्द और प्रतीक “कुष्ठाश्रम” निकाल दिये जायेंगे।

3—(1) उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2026 एतद्द्वारा
निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश संख्या 4
सन् 2026

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा
यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी
कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह
प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम
के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916), उत्तर प्रदेश राज्य में नगर पालिकाओं से सम्बंधित विधि को समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) संख्या-83/2010 फेडरेशन ऑफ लेप्रोसी ऑर्गनाइजेशन (फोलो) और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य तथा रिट याचिका (सिविल) संख्या-1151/2017 विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी बनाम भारत संघ और अन्य में, अपने आदेश दिनांक 07.05.2025 के माध्यम से राज्यों को कुष्ठ रोग से प्रभावित या ठीक हुए व्यक्तियों के विरुद्ध विभेद करने वाली और/या उनके प्रति अनादर सूचक विधियों को परिलक्षित करने हेतु एक समिति गठित करने के लिए निर्दिष्ट किया है और उनसे ऐसे विभेदकारी उपबंधों को हटाने के लिए अत्यावश्यक उपचारी कार्रवाई करने को कहा है।

पूर्वोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्वोक्त प्रयोजन हेतु गठित समिति द्वारा राज्य में प्रचलित उन विधियों को परिलक्षित किया गया जिनमें कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों और/या कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्तियों के सम्बंध में विभेदकारी उपबंध थे और ऐसे परिलक्षित विधिक उपबंधों में उपयुक्त संशोधन की मांग की गई। उपर्युक्त के दृष्टिगत पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 8 का संशोधन किये जाने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरंत विधायी कार्रवाई आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 02 फरवरी, 2026 को उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2026) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरः स्थापित किया जाता है।

ए0 के0 शर्मा

मंत्री,

नगर विकास।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 द्वारा संशोधित किये जाने वाले मूल
अधिनियम की संगत धाराओं का उद्धरण

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916

धारा 8 (1) (ख) नगर पालिका के वैवेकिक कृत्य— (1) (नगरपालिका) की सीमाओं के भीतर और विहित प्राधिकारी की स्वीकृत से ऐसी सीमाओं के बाहर, निम्नलिखित के लिए व्यवस्था कर सकता है—

* * * *

(ख) [* * *] पुस्तकालय, संग्रहालय, वाचनालय, रेडियो संग्राहों केन्द्र कुष्ठाश्रम, अनाथालय, शिशु-सदन और महिला उद्धार-गृह, पागलखाना हाल, कार्यालय, धर्मशाला, विश्राम-गृह, दुग्धशाला, स्नानागार, स्नान घाट, धोबियों के धुलाई-स्थल, पीने के पानी का स्रोत (ड्रिफिंग फाउन्टेन), तालाब, कुआँ, बाँध तथा अन्य लोकोपयोगी निर्माण कार्य का निर्माण, उनकी स्थापना तथा उनका अनुरक्षण में अंशदान देना;

THE UTTAR PRADESH MUNICIPAL CORPORATAIN (AMENDMENT)
BILL, 2026

A

BILL

further to amend the Uttar Pradesh Municipal Corporatain Act, 1959.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-seventh year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2026 .	Short title and commencement
---	------------------------------

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 2nd day of February, 2026.

Amendment of
Section 115 of
U.P. Act no. 2
of 1959

2. In clause (i) of Section 115 of the Urrar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, the words and symbol “leper homes,” shall be *omitted*.

Repeal and
saving

3. (1) The Uttar Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2026 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 3 of 2026

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 (U.P. Act no. 2 of 1959) has been enacted to provide for the establishment of municipal corporations for certain cities in the State of Uttar Pradesh with a view to ensure better municipal governance of such cities.

The Hon'ble Supreme Court *vide* its order dated 07.05.2025 in Writ Petition (Civil) no. 83/2010 Federation of Lepy. Organ (Folo) & Anr. *versus* Union of India & Others and Writ Petition (Civil) no. 1151/2017 Vidhi Centre for Legal Policy *versus* Union of India & Others, directed the States to form a Committee to identify laws which discriminate against and/or are derogatory towards leprosy-affected or cured persons, and urged them to take urgent remedial action to remove such discriminatory provisions.

In order to ensure compliance of the aforesaid order, laws prevalent in the State which have discriminatory provisions in relation to persons affected by leprosy and/or persons cured of leprosy were identified by the Committee constituted for the aforesaid purpose and suitable amendments were sought in such identified legal provisions. In view of the above, it was decided to amend Section 115 of the aforesaid Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2026 (U.P. Ordinance no. 3 of 2026) was promulgated by the Governor on 2nd February, 2026.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

A. K. SHARMA

*Mantri,
Nagar Vikas.*